

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा-24-15/2024

पटना, दिनांक-

श्रीमती सलोनी सौम्या, राज्य-कर सहायक आयुक्त (64वीं बैच), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-15.05.2025 से 05.06.2025 तक कुल 22 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती सौम्या के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (66-22=44) (चौवालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

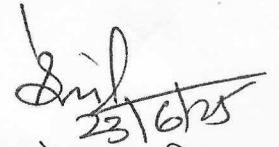
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा-24-15/2024

2558

पटना, दिनांक- 24/06/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा/ राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती सलोनी सौम्या, राज्य-कर सहायक आयुक्त (64वीं बैच), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।